



उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

19 सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

दूरभाष/फैक्स: 0522-2235752 फैक्स- 0522-2235806

Web-www.uppbpb.gov.in

पत्रांक: पीआरपीबी-प्रो0-9-291/2018

दिनांक: मई 28, 2019

सूचना / विज्ञप्ति

रैंकर उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति के परिप्रेक्ष्य में रिट याचिक संख्या-11974/18 स्वदेश कुमार व 47 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.04.2018 के अनुपालन में याचीगण का प्रत्यावेदन बोर्ड द्वारा दिनांक 28.05.2019 को निस्तारित किया जा चुका है, प्रत्यावेदन निस्तारण आदेश की प्रति हस्तगत कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को प्रेषित कर दी गयी है।



अनुसचिव, प्रोन्नति

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।



उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
19सी, तुलसी गंगा काम्प्लेक्स, विधान सभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001
दूरभाष / फ़ैक्स : 0522.2235752, फ़ैक्स : 0522-2235806
Web-www.uppbpb.gov.in

पत्र संख्या: पीआरपीबी-प्रो-9-291 / 2018

दिनांक: मई ,2019

आदेश

याचीगण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या: 11974/2018 स्वदेश कुमार व 47 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के निदर्णय दिनांक 02.04.2018 का कार्यात्मक अंश निम्नवत् हैं :-

".....Mr. Ojha, learned Senior Counsel, on instructions, does not press the prayers made in the writ petition and submits that the petitioners' case is squarely covered by the order passed by this Court dated 28.2.2018 in Writ-C No. 12735 of 2014 and connected petitions and prays for its disposal in terms thereof. Counsel for the State does not dispute the submission made on behalf of the petitioners." In the circumstances, we dispose of the instant writ petition in terms of the order dated 28.2.2018.

3- उल्लेखनीय है कि रिट याचिका संख्या: सी-12735/2018 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2018 के मुख्य अंश निम्नवत् हैं :-

".....The third respondent, U.P. Police Recruitment and Promotion Board, shall consider the petitioners' claim for promotion as and when they undertake the exercise of promotion to the post of Sub-Inspectors in future, if they are otherwise eligible for the promotion. It is needless to mention that the petitioners will have to clear physical efficiency test as provided in the Rules, as amended in 2013. In other words, the petitioners will have to clear physical efficiency test for promotion on the post of SubInspector (Civil Police) as per the relaxed criterion, 2015, as observed by the Supreme Court. It is made clear that, under any circumstance, the petitioners shall not claim notional promotion or any other benefits from any date, earlier to their actual promotion."

4- मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय का पूर्ण सम्मान करते हुए याचीगण के प्रकरण का मेरे द्वारा गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। याचीगण द्वारा आरक्षी पी0ए0सी0 के पद पर नियुक्त रहते हुये उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस रैंकर परीक्षा-2011 में उपनिरीक्षक के पद हेतु आयोजित परीक्षा में आवेदन किया था तथा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त याचीगण द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रतिभाग किया गया जो उ0प्र0 उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 के नियम-5(2) के अन्तर्गत अनिवार्य थी। याचीगण द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल होने के कारण रिट याचिका योजित की गयी है तथा यह अनुरोध किया है कि याचीगण को दिनांक 11.12.2013 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार संशोधित सेवा नियमावली के अन्तर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा में शिथिलता प्रदान की जाए ।

5- उ0प्र0 उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (सातवां संशोधन) नियमावली, 2013 (दिनांक 11.12.2013 को प्रख्यापित) में यह प्रावधान है कि मुख्य आरक्षी से

उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर प्रोन्नति हेतु मुख्य आरक्षी के पद पर 03 वर्ष की सेवा अनिवार्य है तथा इस नियमावली में आरक्षी पद से उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर सीधी प्रोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है।

6- याचीगण स्वदेश कुमार व 47 अन्य के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि रैंकर उपनिरीक्षक ना0पु0 विभागीय परीक्षा-2011 के अन्तर्गत दिनांक 13-03-2011 को सम्पन्न हुई लिखित परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों, जिसमें याचीगण भी सम्मिलित है, के लिये लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप उन्हें अगले चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु "उ0प्र0 उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 के नियम-16 के खण्ड-(ख) में उल्लिखित नियम "अभ्यर्थियों को अर्हकारी प्रकृति की एक शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरुष अभ्यर्थियों से 75 मिनट में 10 किमी0 की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों से 45 मिनट में 05 किमी0 की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी।", के आलोक में शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि नियत करते हुए बुलावा पत्र निर्गत किया गया। निर्धारित 75 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ हेतु आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में याची संख्या-1 स्वदेश कुमार, याची संख्या-24 अवधेश कुमार सिंह, याची संख्या-25 हरिकेश बहादुर सिंह, याची संख्या-38 अजीत कुमार सिंह याची संख्या-45 रमेश चन्द्र शुक्ला अनुपस्थित रहे तथा अन्य याचीगण निर्धारित अवधि में दौड़ पूरी न करने के कारण अचयनित हुये हैं।

7- रिट याचिका संख्या: 12735/2018 हरिश्चन्द्र मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 28.02.2018 में उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (सातवां संशोधन) नियमावली, 2013 एवं 2015 (यथा संशोधित) के नियमों में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भविष्य में होने वाली प्रक्रिया में " ----- as and when he undertake the exercise of promotion to the post of Sub-Inspectors in future, if they are otherwise eligible for the promotion " तो विचार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

8- यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2013 एवं 2015 (यथा संशोधित) में प्रावधानित है कि उप निरीक्षक ना0पु0 के पद "मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य आरक्षियों में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो"। याचीगण द्वारा मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की गयी है, जिसके फलस्वरूप यह संगत सेवा नियमावली के अनुसार पात्र नहीं है। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या: डीजी-चार-106(50)2017 दिनांक 14-12-2017 के माध्यम से 7639 पदों के प्राप्त अधियाचन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी वरिष्ठता/पात्रता सूची में अंकित कार्मिकों की संगत सेवा नियमावली में दिये गये प्रावधानों एवं प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्डों के आलोक में अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति की कार्यवाही की गयी है।

9- चूँकि याचीगण उक्त वर्णित संगत सेवा नियमावली के अनुसार निर्धारित पात्रता पूर्ण नहीं किये है, इसलिए उप निरीक्षक ना0पु0 के पद पर प्रोन्नति हेतु पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी पात्रता सूची में उक्त याचीगण का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में भविष्य में जब भी याचीगण उक्त संगत सेवा नियमावली में दिये गये प्रावधानों के आलोक में निर्धारित पात्रता पूर्ण करेगा तब यथासमय-यथास्थिति विचार किया जायेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि समान प्रकरण में योजित अवमानना याचिका संख्या: 6058/2018 अवधेश कुमार द्विवेदी एवं 46 अन्य को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 05-02-2019 को निरस्त किया जा चुका है।

10- अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में रिट याचिका संख्या: 11974/2018 स्वदेश कुमार व 47 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.04.2018 के अनुपालन में याचीगण का प्रकरण एतद्वारा निस्तारित किया जाता है।

अध्यक्ष,

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

प्रतिलिपि : पंजीकृत डाक/द्वारा विशेष वाहक

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- पुलिस उप-महानिरीक्षक, स्थापना, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
- 3- निम्नलिखित को 02 प्रतियों में इस आशय से प्रेषित कि निम्न कर्मियों को एक प्रति सम्बन्धित कर्मी को प्राप्त कराकर दूसरी प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर दिनांक सहित प्राप्त कर इस बोर्ड को वापस करें। यदि सम्बन्धित कर्मी आपके जनपद/इकाई से अन्यत्र कहीं स्थानान्तरण पर प्रस्थान किया हो तो स्थानान्तरण के जनपद/ईकाई भेजकर तामिल कराने का कष्ट करें :-
 - (1)- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को आपके जनपद में नियुक्त याची/आरक्षी श्री अशोक कुमार तिवारी पुत्र श्री सूर्या नारायण तिवारी, पीएनओ 902461624, कार्यालय क्षेत्राधिकारी, महमूदाबाद को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
 - (2)- पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को आपके जनपद में नियुक्त याची 1-आरक्षी श्री मो0 सलीम खान पुत्र श्री मो0 शरीफ, पीएनओ 952700241, थाना-सुबेहा, 2- आरक्षी श्री संजय कुमार सिंह पुत्र श्री शिवनाथ सिंह, पीएनओ 892660186, थाना मसौली को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
 - (3)- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को आपके जनपद में नियुक्त याची 1- आरक्षी शशिधर तिवारी पुत्र स्व0 श्री अयोध्या प्रसाद तिवारी, पीएनओ 842460941, कार्यालय पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय, लखनऊ 2- आरक्षी श्री रमेश कुमार पुत्र श्री भागीरथ, पीएनओ 902060581, 952240530, क्षेत्राधिकारी कार्यालय मोहनलालगंज, 3- आरक्षी श्री राधेश्याम द्विवेदी पुत्र स्व0 श्री राम सेवक द्विवेदी, पीएनओ 892660072, सेल्स टैक्स को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।

- (4)– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा को आपके जनपद में नियुक्त याची 1– आरक्षी विनोद कुमार पुत्र स्व० श्री रामसनेही लाल, पीएनओ 932010102, थाना–नाई की मंडी, 2– आरक्षी श्री ध्यानवीर सिंह पुत्र स्व० श्री प्रेम सिंह, पीएनओ 882150246, लोहा मंडी को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (5)– पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को आपके जनपद में नियुक्त याची 1– आरक्षी श्री राजकुमार गौतम पुत्र श्री हरि शंकर गौतम, पीएनओ 902017830/902010132 क्षेत्राधिकारी कार्यालय सिरसागंज, 2– आरक्षी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री बदन सिंह, पीएनओ 892013153, सिरसागंज, 3– आरक्षी श्री रामनिवास गौतम पुत्र श्री मनोहर लाल गौतम, पीएनओ 822491358 को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (6)– सेनानायक, 48वीं वाहिनी पी०ए०सी०, सोनभद्र को आपके जनपद में नियुक्त याची/आरक्षी सुनील कुमार पाण्डेय पुत्र श्री अभयराम, पीएनओ 880690911 को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (7)– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज को आपके जनपद में नियुक्त याची 1–आरक्षी मो० आरिफ खान पुत्र मो० युनूस खान, पीएनओ 910893255, थाना–कोलोनेलगंज 2– आरक्षी श्री देवेन्द्र प्रसाद राय पुत्र श्री राम नगीना राय, पीएनओ 892220946/892380147 थाना खुल्दावाद तथा 3– आरक्षी श्री मो० फारुक खान पुत्र मो० हारून खान, पीएनओ 882030528, वाणिज्य कर, को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (8)– पुलिस अधीक्षक, संत रविदास नगर (भदोही) को आपके जनपद में नियुक्त याची 1–आरक्षी कमल कौशल तिवारी पुत्र कौशल किशोर तिवारी, पीएनओ 912031882, थाना गोपीगंज, 2– आरक्षी श्री विपिन कुमार यादव पुत्र श्री जनार्दन यादव, पीएनओ 952500450 को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (9)– पुलिस अधीक्षक, चन्दौली को आपके जनपद में नियुक्त याची/आरक्षी महेन्द्र प्रताप पाठक पुत्र वंशराज पाठक, पीएनओ 922760916/922760091, क्षेत्राधिकारी नौगढ़ कार्यालय को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (10)– सेनानायक, 20वीं वाहिनी पी०ए०सी०, आजमगढ को आपकी इकाई में नियुक्त याची 1–आरक्षी मलखान सिंह यादव पुत्र स्व० देवनाथ यादव, पीएनओ 900570290, 2– आरक्षी श्री अवधेश कुमार यादव पुत्र श्री राजकुमार यादव, पीएनओ 900530342, को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (11)– सेनानायक, 26वीं वाहिनी पी०ए०सी०, गोरखपुर को आपकी इकाई में नियुक्त याची/आरक्षी रामअवध यादव पुत्र श्री बालेश्वर यादव, पीएनओ 860570620, को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (12)– पुलिस अधीक्षक, संत कबीर नगर को आपके जनपद में नियुक्त याची/आरक्षी योगेश कुमार मानी पुत्र श्री गिरजा शंकर मानी, पीएनओ 832320260, डायल 100 को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (13)– पुलिस अधीक्षक, कौशाम्बी को आपके जनपद में नियुक्त याची 1–आरक्षी मुकेश कुमार पुत्र श्री देव नाथ, पीएनओ 942030745, 100 डायल तथा 2– आरक्षी श्री श्याम लाल यादव पुत्र श्री जयनारायन यादव, पीएनओ 892032051, थाना–पिपरी को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।

- (14)– पुलिस अधीक्षक, कन्नौज को आपके जनपद में नियुक्त याची 1–आरक्षी अवधेश कुमार द्विवेदी पुत्र श्री हरिश्चन्द्र द्विवेदी, पीएनओ 872410727, 2– आरक्षी श्री गीतामेन्द्र सिंह पुत्र श्री अहिवरन सिंह, पीएनओ 900930070, थाना सौरिख को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (15)– पुलिस अधीक्षक, हरदोई को आपके जनपद में नियुक्त याची/आरक्षी हरिकेश बहादुर सिंह पुत्र स्व०श्री चन्द्र भूषण सिंह, पीएनओ 872410600/872410600 को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (16)– पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को आपके जनपद में नियुक्त याची/आरक्षी मनोज कुमार पुत्र श्री नाथूराम, पीएनओ 902411238, थाना कोतवाली को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (17)– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को आपके जनपद में नियुक्त याची 1– आरक्षी शत्रुघन सिंह पुत्र श्री शिवकुमार सिंह, पीएनओ 870570131, 2– आरक्षी श्री केशव कुमार दूबे पुत्र श्री दया सागर दूबे, पीएनओ 912220389/912220389 को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (18)– पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकर नगर को आपके जनपद में नियुक्त याची/आरक्षी दामोदर प्रसाद शुक्ला पुत्र स्व० श्री मोतीलाल शुक्ला, पीएनओ 842250250 को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (19)– सेनानायक, 28वीं वाहिनी पी०ए०सी०, इटावा को आपकी इकाई में नियुक्त याची 1– आरक्षी सत्येन्द्र त्रिपाठी पुत्र श्री रामेश्वर त्रिपाठी, पीएनओ 930750381, 2– आरक्षी श्री अजीत सिंह पुत्र श्री मौजीराम, पीएनओ 900730074, को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (20)– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को आपके जनपद में नियुक्त याची/आरक्षी रविन्द्र कुमार पुत्र श्री रामजी लाल, पीएनओ 952531717, थाना मोदीनगर को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (21)– सेनानायक, 25वीं वाहिनी पी०ए०सी०, रायबरेली को आपकी इकाई में नियुक्त याची/आरक्षी अजीत कुमार सिंह पुत्र श्री पृथ्वीराज सिंह, पीएनओ 840560580, को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (22)– सेनानायक, 32वीं वाहिनी पी०ए०सी०, लखनऊ को आपकी इकाई में नियुक्त याची/आरक्षी मो० असीन पुत्र स्व० श्री सामकली, पीएनओ 900570216, को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (23)– पुलिस अधीक्षक, कासगंज को आपके जनपद में नियुक्त याची/आरक्षी रामवीर शर्मा पुत्र श्री गंगा प्रसाद शर्मा, पीएनओ 892910092/892231096, नियुक्ति-धोलाना को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (24)– पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर को आपके जनपद में नियुक्त याची/आरक्षी रामविलास पुत्र श्री रामसरन, पीएनओ 912270049, थाना गहमर को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (25)– सेनानायक, 34वीं वाहिनी पी०ए०सी०, वाराणसी को आपकी इकाई में नियुक्त याची/आरक्षी अंजनी कुमार सिंह पुत्र श्री शजदा सिंह यादव, पीएनओ 910530260, को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।

- (26)– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को आपके जनपद में नियुक्त याची/आरक्षी रमेश चन्द्र शुक्ला पुत्र स्व०श्री सूर्या नारायण शुक्ला, पीएनओ 832244229/832410855 सम्मन सेल को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (27)– सेनानायक, 42वीं वाहिनी पी०ए०सी०, नैनी, प्रयागराज को आपकी इकाई में नियुक्त याची/आरक्षी तीर्थराजपुत्र श्री ललित प्रसाद, पीएनओ 860450579, को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (28)– पुलिस अधीक्षक, सी०बी०सी०आई०डी०, कानपुर को आपकी इकाई में नियुक्त याची/आरक्षी अवधेश कुमार सिंह पुत्र स्व० श्री शम्भू सिंह, पीएनओ 882410788, को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (29)– पुलिस अधीक्षक, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, लखनऊ को आपकी इकाई में नियुक्त याची/आरक्षी राम सिंह पुत्र श्री मिथला सिंह, पीएनओ 892470325, को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (30)– पुलिस अधीक्षक, रेलवेज, लखनऊ को आपकी इकाई में नियुक्त याची/आरक्षी विजय कुमार यादव पुत्र श्री राम सुबोध यादव, पीएनओ 892620554/892620544, थाना जी०आर०पी०, गोण्डा को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (31)– पुलिस उपाधीक्षक, जी०आर०पी०, कानपुर को आपके अधीन नियुक्त याची/आरक्षी सुधीर कुमार राय पुत्र स्व० नन्दन सिंह, पीएनओ 912162371/912760926, जी०आर०पी० कानपुर सेन्ट्रल, को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।
- (32)– पुलिस उपाधीक्षक, सी०बी०सी०आई०डी०, प्रयागराज को आपकी इकाई में नियुक्त याची/आरक्षी स्वदेश कुमार पुत्र श्री स्वतंत्र सिंह, पीएनओ 912031101, को उपरोक्त निर्देश के अनुसार प्राप्त कराने हेतु।

अध्यक्ष,

उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।